भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं॰ 337

दिनांक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था

***337. कुमारी शैलजाः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जो पेयजल के फ्लोराइड और आर्सेनिक तत्वों से संदूषित होने के कारण प्रभावित हुए हैं;

(ख) हरियाणा सहित ऐसे राज्यों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार इन राज्यों को इस संबंध में कोई विशेष सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या–क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनाँक 03.04.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न सं० *337 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 29 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार फ्लोराइड तथा आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। राज्य सरकार ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और संचालन करती है।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को आबंटित 67% तक की निधियों का उपयोग कवरेज के लिए और जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, 5% एनआरडीडब्ल्यूपी निधियां जल गुणवत्ता के लिए चिह्नित हैं और उन राज्यों को आबंटित की जाती हैं, जिनमें अत्यधिक रसायन संदूषण से प्रभावित बसावटे हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिह्नित जापानी इंसेफेलाइटिस/ उग्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं।

राज्यों से कहा गया है कि वे जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित एवं बारहमासी सतही जल स्रोतों से नल जल आपूर्ति स्कीमों पर बल दें। तत्काल उपाय के रूप में, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए अल्पकालिक उपाय के तौर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने एवं रसोई प्रयोजन के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु नीति आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा राज्यों (हरियाणा सहित) को 100% अनुदान के रूप में मार्च 2016 में 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में क्रमशः आर्सेनिक और फ्लोराइड समस्याओं को दूर करने के लिए सतही जल आधारित नल जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अंतिम कनेक्टिविटी के रूप में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए की निधियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

केंद्र तथा राज्य के बीच 50:50 की भागीदारी में और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में उनके मध्य 90:10 की भागीदारी में मुख्यत: सतही जल आधारित नल जलापूर्ति स्कीमों द्वारा केवल आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित आबादी के लिए केन्द्रित वित्तपोषण के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए 15 राज्यों को 814.14 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत चालू स्कीमों और जारी की गई योग्य केंद्रीय निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-II** पर दी गई है। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे दिसंबर, 2018 तक इन चालू स्कीमों को पूरा करें।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 03/04/2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 29 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा सूचित फ्लोराइड तथा आर्सेनिक प्रभावित बसावटों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	फ्लोराइड प्रभावित बसावटें	आर्सेनिक प्रभावित बसावटें
1	अंडमान एवं निकोबार	-	-
2	आंध्र प्रदेश	442	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	341
4	असम	154	3,705
5	बिहार	956	1,065
6	छत्तीसगढ़	75	-
7	गोवा	-	-
8	गुजरात	-	-
9	हरियाणा	195	44
10	हिमाचल प्रदेश	-	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	7
12	झारखंड	992	126
13	कर्नाटक	845	20
14	केरल	73	3
15	मध्य प्रदेश	108	-
16	महाराष्ट्र	91	1
17	मणिपुर	-	-
18	मेघालय	-	1
19	मिजोरम	-	-
20	नागालैंड	-	-
21	ओडिशा	62	2
22	पुडुचेरी	-	-
23	पंजाब	281	475
24	राजस्थान	6,491	3
25	सिक्किम	-	-
26	तमिलनाडु	-	-
27	तेलंगाना	1,030	-
28	त्रिपुरा	-	-
29	उत्तर प्रदेश	200	262
30	उत्तराखंड	-	-
31	पश्चिमी बंगाल	1,018	7,476
कुल		**13,013**	**13,531**

अनुलग्नक-II

दिनांक 03/04/2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के अंतर्गत चालू स्कीमों और जारी की गई योग्य केंद्रीय निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चालू स्कीमों की संख्या	जारी किया गया योग्य केंद्रीय अंशदान (लाखों में)
1	आंध्र प्रदेश	2	11.84
2	असम	117	4516.51
3	बिहार	48	2096.93
4	छत्तीसगढ़	2	2.43
5	हरियाणा	4	200.93
6	झारखंड	17	107.28
7	कर्नाटक	75	827.78
8	केरल	4	231.06
9	मध्य प्रदेश	1	315.05
10	महाराष्ट्र	49	1483.31
11	ओडिशा	3	111.75
12	राजस्थान	57	49064.6
13	तेलंगाना	30	1263.27
14	उत्तर प्रदेश	47	2630.5
15	पश्चिमी बंगाल	132	18550.72
	कुल	**588**	**81413.96**